**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1063**

**29 जुलाई, 2015 को उत्‍तर के लिए**

**जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना**

**1063. श्री अविनाश पांडेः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन जिलों की कुल संख्या कितनी है, जहां खनिजों का खनन किया जा रहा है;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957, 2015 में यथा संशोधित के अन्तर्गत कितने जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की स्थापना और संचालन शुरू किया गया है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**खान एवं इस्‍पात राज्‍य मंत्री (श्री विष्‍णु देव साय)**

(क) : भारतीय खान ब्‍यूरो (खान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय) द्वारा रखे गए आंकड़ो के अनुसार ऐसे 281 जिले है जहां प्रमुख खनिजों के खनन के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा खनन पट्टा प्रदान किए गए हैं ।

(ख) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया जो 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ । नई जोड़ी गई धारा 9ख के अनुसार, राज्‍य सरकारों को जिला खनिज प्रतिष्‍ठान (डीएमएफ) के गठन और कार्यों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया । तदनुसार सभी राज्‍य सरकारों को आवश्‍यक नियम बनाने की सलाह दी गई ।

राज्‍य सरकारों द्वारा इस संबंध में नियम बनाने और राज्‍य में डीएमएफ की स्‍थापना को अधिसूचित करते ही डीएमएफ प्रचालनात्‍मक हो जाएगा । देश में अभी तक कोई भी डीएमएफ प्रचालनात्‍मक नहीं है।

\*\*\*\*\*\*